

9/3/2021

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईलतुवा होकर दिनांक 16/3/2021 को पेश हो।

[Signature]

16/3/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी राज. सरकार जसिने तहसीलदार बावड़ी से जवाब प्रार्थना पत्र/मौजूदा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल निसल की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया जिस पर प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।


प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम निताड़ा तहसील बावड़ी के खसरा सं. 1073 व 1072/1 खालेदारी कृषि भूमि प्रार्थी गण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा तहसीलदार भोपालगढ़ के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा पत्रावली के आदेश क्रमांक 12-03-2005 द्वारा नामान्तरकरण सं. 1666 पर दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। राज्य सरकार द्वारा DILRMP प्रोग्राम के तहत ऑन लाइन राजस्व रेकॉर्ड प्रक्रिया के दौरान लिपिकीय त्रुटिवश उक्त खसरों की ऑन लाइन तरमीम में त्रुटि कर कब्जा कसूल व बंटवाडा अनुसार करके गलत तरमीम कर दी गई। अतः सही तरमीम अनुसार तहसीलदार बावड़ी मौजूदा जांच रिपोर्ट के आदेश करवाने की कृपा करावे।

[Signature]

प्रार्थी अधिवक्ता की वकालत पर ममन
किशोरिया तथा पत्रावली एवं तहसीलदार
बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट
का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

बाद ममन, अवलोकन एवं अध्ययन
के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायक्षेत्र में
स्वीकार किया जाता है तथा तहसील
दार बावड़ी को आदेशित किया जाता
है कि राजस्व ग्राम नैरडा के खसरा
सं. 1073 व 1072/1 की तरमीम, तहसीलदार

बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट
अनुसार वेंकाड़ा एवं मामा सं. 1666 की
पुस्तक पर दर्ज तरमीम नक्शा अनुसार
शुद्ध कर राजस्व नक्शों में कमलेशमय
करावें। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत
मौका जांच रिपोर्ट इस आदेश का भाग
अंग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को
आदेश फालगुण तहरीर जारी है।
पत्रावली फेसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो। फेसला खुले न्यायालय में सुनाया
गया।


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी